IJARSCT

ISSN (Online) 2581-9429

International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)

IJARSCT
Impact Factor: 4.819

Volume 10, Issue 1, October 2019

भारत में शिक्षा का निजीकरण: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. चन्दन कुमार पाण्डेय

असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, मौदहा हमीरपुर

सारांश:- एलपीजी (लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन) की आंच में आज शिक्षा भी बाजार की वस्तु बन गई है। शिक्षा व्यवस्था में निजी हाथों की भूमिका बढ़ती जा रही है। शिक्षा के निजीकरण पर अगर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क में दो प्रश्न खड़े होते हैं –

1 क्या शिक्षा का निजीकरण भारत जैसे देश के लिए उचित है?

2. क्या शिक्षा के निजीकरण से शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है?

प्रस्तुत शोध पत्र में हम इन्हीं प्रश्नों का उतर द्वितीयक स्रोत से प्राप्त तथ्यों के आधार पर ढूंढने का प्रयास करेंगे।

मुख्य शब्द:- शिक्षा, शिक्षक , छात्र,निजीकरण,गरीब,अमीर।

शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा होती है। यह न केवल ज्ञान प्रदान करती है, बल्कि व्यक्ति के चरित्र, नैतिक मूल्यों, सोचने की क्षमता और सामाजिक व्यवहार का निर्माण भी करती है। एक विकसित और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है।

वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए हैं, जिनमें "शिक्षा का निजीकरण" एक प्रमुख प्रवृत्ति बनकर उभरा है। यह केवल एक शैक्षिक परिवर्तन नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन भी है।

भारत एक गरीब देश है आज भी इस देश की 25% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर करने के लिए मजबूर है। इस देश की 70% जनसंख्या कि आय 3000 प्रति माह से भी कम है, ऐसे में शिक्षा का निजीकरण अर्थात शिक्षा को निजी हाथों में सौंपना उन तमाम लोगों के साथ अन्याय है जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए निर्धारित फीस भी नहीं दे सकते। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर शिक्षा का निजीकरण कर दिया जाता है तो उच्च शिक्षा के लिए अर्थात स्नातक और परास्नातक के लिए ही एक लड़के को 50000 से लाख रुपए प्रति वर्ष फीस देने होंगे और कॉपी, कलम,किताब ,आवास शुल्क,भोजन शुल्क आदि अलग से देने होंगे। ऐसे में एक गरीब छात्र के लिए साधारण बी ए,एम ए आदि कोर्सेज में भी प्रवेश लेना मुश्किल होगा।

शिक्षा का निजीकरण: परिभाषा और अवधारणा-

शिक्षा का निजीकरण उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की भूमिका कम होती जाती है और निजी संस्थाएँ—जैसे ट्रस्ट, कंपनियाँ, या व्यक्ति—शिक्षा संस्थानों का संचालन करने लगते हैं।

शिक्षा का नियंत्रण निजी हाथों में होना जिसके कारण वे कईबार शिक्षा को सेवा के साथ-साथ एक उत्पाद (Product) के रूप में देखते है,लाभ (Profit) और गुणवत्ता (Quality) दोनों पर ध्यान देते हैं|

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (भारत के संदर्भ में):- प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी जहाँ शिक्षा निजी (गुरु आधारित) थी| नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था | फिर औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने औपचारिक शिक्षा प्रणाली लागू की, सरकारी स्कूल और कॉलेज स्थापित हुए| यहाँ शिक्षा का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों के लिए कर्मचारी तैयार करना था| स्वतंत्रता के बाद शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास किये गए सरकारी विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का विस्तार किया गया |

शिक्षा के निजीकरण के कारण- इसके कई कारण उत्तरदायी है-

1. जनसंख्या वृद्धि -भारत जैसे देश में तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण शिक्षा की मांग बढ़ी, जिसे केवल सरकार पूरा नहीं कर सकी।

2. सरकारी संसाधनों की कमी- सीमित बजट,बुनियादी ढांचे की कमी,शिक्षक-छात्र अनुपात में असंतुलन भी इसे लिए जिम्मेदार हैं |

3. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मांग- अभिभावक अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहते हैं| अंग्रेजी माध्यम,आधुनिक तकनीक,बेहतर करियर अवसर पाने के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी,फलस्वरूप शिक्षा का निजीकरण का उदय हुआ|

4. वैश्वीकरण का प्रभाव- अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा,विदेशी विश्वविद्यालयों का प्रभाव,कौशल आधारित शिक्षा की आवश्यकता ने भी शिक्षा के निजीकरण को बल प्रदान किया |

5. रोजगारोन्मुख शिक्षा -निजी संस्थान ऐसे कोर्स प्रदान करते हैं जो सीधे रोजगार से जुड़े होते हैं। और ऐसे में लोग इनकी ओर अधिक आकृष्ट होते हैं|

शिक्षा के निजीकरण के प्रकार

(i) पूर्ण निजीकरण जहाँ पर पूरी तरह निजी स्वामित्व होता है ,सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है |

(ii) आंशिक निजीकरण (PPP मॉडल)- यहाँ सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर काम करते हैं

(iii) कोचिंग संस्थान-परीक्षा आधारित शिक्षा,प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करायी जा रही है|

भारत में शिक्षा की समस्याएं:-

1. उच्च शिक्षा रोजगारन्मुखी नहीं है

2. शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव

3.दोषपूर्ण पाठ्यक्रम

4.निम्न शिक्षा स्तर

5.छात्र अनुशासनहीनता

6.छात्र राजनीति का अपराधीकरण

7.आर्थिक समस्याएं

8.दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली

9.शिक्षकों का उत्तरदायित्व के प्रति उदासीनता

शिक्षा के निजीकरण के पक्ष में तर्क:-

1. **सरकार के पास धनाभाव:-** शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ऐसे में 10 वी के बाद प्रत्येक बच्चे को इंटर और उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए हजारों शिक्षण संस्थानों की आवश्यकता है, जो कि अकेले सरकार के माध्यम से संभव नहीं है। उच्च शिक्षा पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च करने की स्थिति में सरकार नहीं है, इसीलिए सरकार पीपीपी मॉडल से शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर रही है। निजी शिक्षण संस्थानों- कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को मान्यता दे रही है।

2. **वर्तमान समय में शिक्षा का निम्न स्तर:-** सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का स्तर कुछ को छोड़ कर अन्य में बहुत ही खराब हैं। ऐसे में संभावना व्यक्त की जाती है की निजी शिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध होगी।

3. **रोजगार परख पाठ्यक्रमों की अधिकता:-** निजी शिक्षण संस्थान रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम को प्राथमिकता देते हैं ऐसे में इन संस्थाओं से शिक्षित युवा को कोई न कोई रोजगार अवश्य प्राप्त होगा।

4. **शिक्षकों का राजनीतिकरण रुकेगा:-** सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक अलग-अलग राजनीतिक पार्टी के विचारधाराओं से प्रभावित होकर उनके लिए कार्य करते हैं। यह कार्य निजी शिक्षण संस्थान के शिक्षक नहीं कर सकेंगे, इस प्रकार शिक्षकों का राजनीतिकरण रुकेगा।

5. **छात्रों का अपराधीकरण थमेगा:-** सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र राजनीति अपराधीकरण की ओर उन्मुख हो गई है। ऐसे में निजी शिक्षण संस्थानों में छात्र राजनीति नहीं कर पाएंगे और इसका अपराधीकरण रुक जाएगा।

6. **परीक्षा प्रणाली में सुधार होगा:-** यह उम्मीद की जाती है की निजी शिक्षण संस्थानों में परीक्षा की प्रणाली और ही उन्नत वह विश्वसनीय होगी।

7. **अयोग्य शिक्षकों की संख्या में कमी आएगी:-**निजी शिक्षण संस्थान शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए योग्य शिक्षकों की ही नियुक्ति करेंगे ऐसे में आयोग्य शिक्षक की संख्या घटेगी ।

8. शिक्षक हमेशा अपने ज्ञान के संवर्धन में लगे रहेंगे।

9. शोध के स्तर में सुधार होगा।

शिक्षा के निजीकरण के दुष्परिणाम -

1. शिक्षा केवल अमीरों के लिए:- शिक्षा के निजीकरण का सीधा सा अर्थ है शिक्षा ग्रहण करने के लिए अधिक फीस देना। ऐसे में शिक्षा केवल अमीरों के लिए ही उपलब्ध होगी क्योंकि भारत की 70% जनसंख्या जिसकी आई प्रति माह लगभग'3000 प्रतिमाह से भी कम है वह अपने बच्चों के शिक्षा के लिए प्रति वर्ष 50000 से लाख रुपए तक कहां से देगा।

आज के समय में बैंक शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋण उपलब्ध करा रहे हैं ।परंतु प्रश्न यह है की जिस शिक्षा व्यवस्था में केवल बेरोजगारों की फौज तैयार हो रही है उसमें एक गरीब नागरिक अपने बच्चों के लिए ऋण कैसे लगा ?

UNESCO GEM Report के अनुसार:

20%–40% छात्र कई देशों में निजी स्कूलों में पढ़ते हैं

अमीर परिवारों के बच्चे 10 गुना अधिक निजी स्कूलों में जाते हैं

गरीब परिवारों की शिक्षा पर खर्च का बड़ा हिस्सा फीस में जाता है

2. शिक्षण के क्षेत्र में योग्य लोगों का अभाव:- शिक्षा के निजी हाथों में चले जाने से योग्य लोग शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनना चाहेंगे क्योंकि यहां काम की 'सुरक्षा का अभाव' दिखता है।

3. गुणवत्ता भी प्रभावित होगी:- योग्य छात्र पैसे के अभाव के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे।फ़लतः क्वालिटी प्रोडक्ट में ह्रास होगा।

4. शिक्षा का मूल उद्देश्य से भटकाव:-

निजीकरण के फलस्वरुप शिक्षा एक व्यापार बन जाएगी यह अपने मूल उद्देश्यों व्यक्तित्व निर्माण,सामाजिक नियंत्रण आदि से दूर हो रही है|

5. शैक्षणिक केंद्र दुकान बन जाएंगे:- निजी शैक्षणिक संस्थान एक दुकान की तरह व्यवहार करते हैं ।अगर इनकी प्रतिशतता यूं ही बढ़ी तो गरीब के हाथ से शिक्षा दूर हो जाएगी।

सरकार की भूमिका (Policy Perspective)-सरकार को निम्नलिखित कदम उठाने चाहिए:

शिक्षा पर नियंत्रण और निगरानी,फीस पर नियमन,गरीब छात्रों के लिए छात्रवृत्ति,सरकारी स्कूलों का सशक्तिकरण

शिक्षा का अधिकार (Right to Education) लागू करना|

समाधान और सुझाव (Reforms)-निजी और सरकारी शिक्षा में संतुलन,शिक्षा को सुलभ और सस्ती बनाना,गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना,ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का विकास,नैतिक और मूल्य आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना|. **निष्कर्ष** शिक्षा का निजीकरण आधुनिक युग की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता बन चुका है, जो शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, प्रतिस्पर्धी और प्रभावी बनाता है। परंतु इसके साथ ही यह सामाजिक असमानता, महंगाई और व्यावसायीकरण जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न करता है।

अतः आवश्यक है कि सरकार और निजी क्षेत्र मिलकर एक संतुलित और समावेशी शिक्षा प्रणाली विकसित करें, जिससे हर व्यक्ति—चाहे वह किसी भी वर्ग का हो—गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके।

संदर्भ (References)

1.NCERT **रिपोर्ट्स**
2.शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार
3.विभिन्न शिक्षा नीति दस्तावेज
4.समाचार पत्र और शोध लेख